अनुदान से बाज़ार की ओर: अर्बन चैलेंज फंड का नया समीकरण

प्रकाशन: 27 नवंबर 2026

समाचार-संदर्भ: 26 नवंबर 2026
प्रिलिम्स: योजना से जुड़े प्रमुख तथ्य
मुख्य परीक्षा: GS Paper-II (नगरीय शासन एवं नगरपालिका क्षमता), GS Paper-III (अवसंरचना एवं निवेश मॉडल)



pcsmantra.com

खबरों में क्यों

आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) के नगरीय विकास विभाग (DoUD) ने 26 नवंबर 2026 को नई दिल्ली के वाणिज्य भवन में "अर्बन चैलेंज फंड परियोजनाओं के लिए बाज़ार-आधारित वित्तपोषण" विषय पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसका उद्देश्य शहरों को **बैंकेबल परियोजनाएँ** (बैंकेबल = वित्तीय रूप से व्यवहार्य परियोजना, जिसमें ऋणदाता या निवेशक को उसकी आय से भुगतान लौटने का भरोसा हो) तैयार करने और शहरी अवसंरचना के बाज़ार-आधारित वित्तपोषण की ओर बढ़ने में मदद करना था।[1]

कार्यशाला में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 25 शहरों (मिलियन-प्लस शहरों) के नगर आयुक्त एवं विकास प्राधिकरणों के प्रमुख, संबंधित राज्यों के स्टेट मिशन डायरेक्टर, क्षेत्रीय विशेषज्ञ और DoUD/MoHUA के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB), एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) और हुडको (HUDCO) जैसी वित्तीय संस्थाएँ तथा CEPT यूनिवर्सिटी, IIT खड़गपुर, ISEG, जनाग्रह, NIT कालीकट, NIUA और SPA जैसे ज्ञान-संस्थान भी शामिल हुए, जिन्होंने सत्रों में शहरों का सहयोग किया।[1]

DoUD के सचिव ने कहा कि शहरी विकास के प्रति अपनी सोच बदलने और पूरे शहरी परिदृश्य में परिवर्तनकारी परियोजनाओं की परिकल्पना व क्रियान्वयन के लिए क्षमता बनाने की ज़रूरत है; यह कार्यशाला शहरों को UCF के तहत बैंकेबल परियोजनाएँ प्रस्तुत करने के कौशल और विचार देने की दिशा में एक कदम है।[1]

अर्बन चैलेंज फंड क्या है

परिचय: अर्बन चैलेंज फंड (Urban Challenge Fund - UCF) केंद्र सरकार की नगरीय अवसंरचना योजना है, जिसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2025-26 (1 फ़रवरी 2025) में की गई थी। इसके संचालन दिशानिर्देश 15 अप्रैल 2026 को जारी हुए।[2][3][4]

मूल बदलाव: UCF शहरी अवसंरचना के लिए अब तक के अनुदान-आधारित (grant-based) दृष्टिकोण से हटकर एक **बाज़ार-संलग्न (market-linked), सुधार-चालित (reform-driven) और परिणाम-उन्मुख (outcome-oriented)** ढाँचा है। अर्थात् केंद्र की राशि अब मुफ़्त अनुदान की तरह नहीं बँटती; वह उत्प्रेरक (catalytic) सहायता है, जो बाज़ार से बड़ी पूँजी खिंचवाने का आधार बनती है।[1]

पैमाना: 1 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता से लगभग **4 लाख करोड़ रुपये** के कुल निवेश को उत्प्रेरित करने का लक्ष्य है। मिशन अवधि वित्त वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक है, जिसे तीन वर्ष आगे बढ़ाया जा सकता है।[1][3]

केंद्रीय सहायता का बँटवारा (कुल 1 लाख करोड़ रुपये):

- **परियोजना निधि:** 90,000 करोड़ रुपये - स्वीकृत अवसंरचना परियोजनाओं के लिए
- **परियोजना-तैयारी एवं क्षमता-निर्माण निधि:** 5,000 करोड़ रुपये - राष्ट्रीय, राज्य/केंद्रशासित प्रदेश और शहर स्तर पर
- **क्रेडिट रीपेमेंट गारंटी उप-योजना (CRGSS):** 5,000 करोड़ रुपये - ऋण-चुकौती की गारंटी, जिससे कमज़ोर बैलेंस-शीट वाले निकाय भी ऋण ले सकें

कवरेज: सभी शहरी स्थानीय निकाय (ULB) योग्य हैं; विशेष फ़ोकस टियर-2 और टियर-3 शहरों पर है। 2025 में अनुमानित 10 लाख या अधिक जनसंख्या वाले सभी शहर, राजधानी शहर, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रमुख औद्योगिक शहर और पहाड़ी/पूर्वोत्तर राज्यों के सभी ULB इसमें आते हैं।[3]

वित्तीय संरचना: 25-50 का फ़ॉर्मूला

मूल शर्त: UCF किसी बैंकेबल परियोजना की लागत का अधिकतम **25 प्रतिशत** ही केंद्रीय सहायता के रूप में देता है, और यह शर्त लगाता है कि लागत का कम से कम **50 प्रतिशत** म्यूनिसिपल बांड (नगरपालिका द्वारा जारी ऋण-पत्र, जिनमें निवेशक नगरपालिका को ऋण देते हैं), बैंक ऋण या सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) से जुटाया जाए। शेष हिस्सा राज्य/नगर निकाय साझा करता है।[2][3][4]

राशि जारी करने का तरीका: केंद्रीय सहायता एकमुश्त नहीं मिलती; वह **30:50:20** की तीन किस्तों में, शर्तों से बँधकर आती है -

- **पहली किस्त (30%):** राष्ट्रीय शीर्ष समिति (NAC) और राज्य उच्चाधिकृत संचालन समिति (SHPSC) की स्वीकृति पर
- **दूसरी किस्त (50%):** कम से कम 40% भौतिक प्रगति पर, जियो-टैग्ड साक्ष्य और स्वतंत्र/तृतीय-पक्ष सत्यापन के साथ; साथ ही पहले जारी राशि का 75% उपयोग-प्रमाणपत्र (UC)
- **तीसरी किस्त (20%):** कम से कम 75% भौतिक प्रगति और उसी तरह के सत्यापन पर

वित्तीय अनुशासन: हर परियोजना को **एस्क्रो (ESCROW) तंत्र** बनाना होता है, यानी परियोजना की आय एक ऐसे अलग खाते में जमा होती है, जो पहले ऋण-चुकौती और परियोजना ख़र्च के लिए आरक्षित (ring-fenced) रहती है। राशि को स्वीकृत घटकों से इधर-उधर नहीं किया जा सकता।[3]

तीन वर्टिकल: फंड किन क्षेत्रों में जाता है

UCF की परियोजनाएँ तीन वर्टिकल (क्षेत्र-स्तम्भ) में बँटी हैं:

- **सिटीज़ ऐज़ ग्रोथ हब्स (Cities as Growth Hubs):** शहरों को आर्थिक वृद्धि के इंजन के रूप में विकसित करने वाली परियोजनाएँ। स्वीकृत उदाहरण: असम के गुवाहाटी का सारुसजाई क्षेत्र और सिक्किम का 'गंगटोक गेटवे' प्रोजेक्ट।[1]
- **क्रिएटिव रीडेवलपमेंट ऑफ़ सिटीज़ (शहरों का सृजनात्मक पुनर्विकास):** पुराने/दबे-कुचले शहरी क्षेत्रों का नवीनीकरण। स्वीकृत उदाहरण: पटना, लखनऊ और वाराणसी की पुनर्विकास परियोजनाएँ।[1]
- **जल एवं स्वच्छता (Water & Sanitation):** जलापूर्ति, सीवरेज, कचरा-प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाएँ। स्वीकृत उदाहरण: लखनऊ की कचरे-से-ऊर्जा (waste-to-energy) परियोजना और तमिलनाडु की स्मार्ट मीटरिंग, जल-शोधन व कचरे-से-ऊर्जा परियोजनाएँ; वारंगल शहर का समग्र विकास भी इसी शृंखला में है।[1]

शहरों से अपेक्षा है कि वे एकीकृत परिवर्तन के लिए कम से कम दो वर्टिकल में परियोजनाएँ लें, हालाँकि तैयारी के हिसाब से चरणबद्ध क्रियान्वयन संभव है।[3]

चैलेंज मोड और सुधार: स्वीकृति की प्रक्रिया

चैलेंज मोड: यह योजना 'चुनौती' के सिद्धांत पर चलती है - राज्य/शहर अपनी परियोजनाएँ प्रतिस्पर्धा के आधार पर प्रस्तुत करते हैं और मूल्यांकन तीन स्तम्भों पर होता है: (क) दृष्टि, मिशन व क्षमता; (ख) परिवर्तनकारी एवं प्रभाव-परिणाम; (ग) वित्तीय व परिचालन स्थिरता (सस्टेनेबिलिटी)।[3]

प्रक्रिया के चरण: ULB/कार्यान्वयन एजेंसी परियोजना तैयार करती है - राज्य स्तर पर शॉर्टलिस्टिंग - वित्तीय संस्थाओं से सैद्धांतिक स्वीकृति - राज्य उच्चाधिकृत संचालन समिति (SHPSC) की मंज़ूरी - राष्ट्रीय शीर्ष समिति (NAC) का मूल्यांकन व स्वीकृति - फिर धन जारी होना शुरू।[3]

राष्ट्रीय शीर्ष समिति (NAC): MoHUA के सचिव (DoUD) की अध्यक्षता में बनाई गई सर्वोच्च निकाय है, जिसमें व्यय विभाग, आर्थिक मामलों का विभाग, नीति आयोग, TCPO, CPHEEO और NIUA के प्रतिनिधि शामिल हैं। इसकी बैठकें हर माह के पहले सप्ताह में होती हैं।[1][3]

सुधार अनिवार्य: सुधार को चैलेंज मोड की नींव माना गया है - डिजिटल, वित्तीय, योजना और शासन-संबंधी सुधार, स्व-राजस्व (own-source revenue) बढ़ाना, शहरी सड़क-सुधार पहल, सिटी इकॉनॉमिक प्लान और कार्बन क्रेडिट बाज़ार इसी कड़ी के हिस्से हैं। हर स्वीकृत परियोजना को तीन माह के भीतर अपना सुधार-रोडमैप प्रस्तुत करना होता है और प्रगति MoHUA के केंद्रीय सुधार पोर्टल पर दर्ज होती है।[1][3]

आवंटन का नियम: राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के बीच आवंटन मोटे तौर पर जनसंख्या के आधार पर होता है; राज्यों को दिशानिर्देश जारी होने के छह माह के भीतर अपने आवंटन का कम से कम 25% परियोजनाओं में लेना है; दो वर्ष बाद NAC प्रगति की समीक्षा कर पुनः आवंटन भी कर सकती है।[3]

अब तक की प्रगति और ज़रूरी सावधानियाँ

प्रगति: अब तक तीनों वर्टिकल में 16 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की **50,000 करोड़ रुपये से अधिक** मूल्य की परियोजनाएँ राष्ट्रीय शीर्ष समिति की बैठकों से **स्वीकृत** हो चुकी हैं। बाज़ार-वित्तपोषण की न्यूनतम 50 प्रतिशत की अनिवार्यता के मुकाबले राज्यों ने ऋण, म्यूनिसिपल बांड या PPP के माध्यम से लगभग **61 प्रतिशत** जुटाने का **प्रस्ताव** दिया है।[1]

तीन सावधानियाँ (परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण):

- **स्वीकृति का अर्थ राशि जारी होना नहीं:** 50,000 करोड़ रुपये का आँकड़ा स्वीकृत परियोजनाओं की लागत है - न कि जारी हो चुकी राशि का, न ही पूरी हो चुकी परियोजनाओं का। केंद्रीय सहायता की पहली किस्त स्वीकृति के बाद और शेष किस्तें भौतिक प्रगति से जुड़कर ही आती हैं।[1][3]
- **61% प्रस्तावित है, वास्तविक जुटान नहीं:** यह अनुपात प्रस्ताव-स्तर पर राज्यों की योजना है; बाज़ार से वास्तविक पूँजी जुटने का सत्यापन क्रियान्वयन के दौरान ही होगा।[1]
- **बाज़ार-आधारित वित्तपोषण का अर्थ हर संपत्ति का निजीकरण नहीं:** म्यूनिसिपल बांड और बैंक ऋण नगर निकाय का अपना सार्वजनिक ऋण होता है - संपत्ति निकाय के पास ही रहती है। PPP केवल ऐसी चुनिंदा परियोजनाओं में अपनाया जाता है जहाँ आय-स्रोत (जैसे उपयोगकर्ता-शुल्क) पहचाना गया हो; दिशानिर्देश ऐसी परियोजनाओं को PPP मोड में रखने की सलाह देते हैं ताकि निकाय पर आकस्मिक देनदारियाँ (contingent liabilities) न बढ़ें। स्वामित्व और विनियामक भूमिका नगर निकाय की ही बनी रहती है।[3]

नगरीय निकायों की क्षमता: असली कसौटी

संदर्भ: 74वें संविधान संशोधन (1992) ने शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया, परंतु वित्तीय स्वायत्तता सीमित रही - अधिकांश नगरपालिकाओं का स्व-राजस्व उनके कुल बजट का छोटा हिस्सा ही है और क्रेडिट-रेटिंग के अभाव में म्यूनिसिपल बांड बाज़ार सीमित शहरों तक ही पहुँच पाया है।

UCF इस कमी को ही टारगेट करता है: क्षमता-निर्माण के लिए अलग से 5,000 करोड़ रुपये का प्रावधान, CRGSS जैसी ऋण-गारंटी, और 26 नवंबर की कार्यशाला जैसी हैंडहोल्डिंग (मार्गदर्शन) पहलें - जिनमें शहरों को परियोजना-संरचना, जोखिम-आवंटन और आय-स्रोत बनाने के कौशल सिखाए गए - इसी कमज़ोरी के समाधान के लिए हैं।[1][3]

चुनौती: एस्क्रो-अनुशासन, उपयोगकर्ता-शुल्क का राजनीतिक निर्णय, DPR तैयार करने की तकनीकी क्षमता और PPP अनुबंध-प्रबंधन - ये सब उन निकायों के लिए कठिन हैं, जिनके पास प्रशिक्षित कर्मचारी व वित्तीय अनुभव कम है। यही कारण है कि सफलता का आधार केवल फंड नहीं, निकाय की क्षमता है।

उत्तर प्रदेश के लिए महत्व

स्वीकृत परियोजनाओं में उत्तर प्रदेश की स्पष्ट उपस्थिति है - **लखनऊ और वाराणसी** में शहरों के सृजनात्मक पुनर्विकास की परियोजनाएँ और **लखनऊ** की कचरे-से-ऊर्जा परियोजना NAC से स्वीकृत प्रमुख प्रोजेक्टों में शामिल हैं। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कई UP शहर UCF की कवरेज-श्रेणी में आते हैं, इसलिए यह विषय UPPCS की दृष्टि से GS-I (शहरीकरण) और GS-II (शहरी विकास नीतियाँ) दोनों के लिए प्रासंगिक है।[1][3]

आगे की राह

UCF का वास्तविक परीक्षण अब स्वीकृत परियोजनाओं के क्रियान्वयन में है: राज्यों को प्रस्तावित 61% बाज़ार-वित्तपोषण को वास्तविक जुटान में बदलना होगा, नगर निकायों को एस्क्रो-अनुशासन और सुधार-रोडमैप पर अमल करना होगा, और केंद्र को क्षमता-निर्माण निधि का समय पर उपयोग सुनिश्चित करना होगा। यदि यह मॉडल सफल हुआ, तो भारतीय शहरों के विकास का भार धीरे-धीरे बजटीय अनुदान से स्थायी, आय-आधारित वित्तपोषण की ओर खिसक सकता है - जो 2047 के विकसित भारत लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा।

संबंधित लेख: दूसरा राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन 2026

प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1. अर्बन चैलेंज फंड (UCF) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: इसके अंतर्गत केंद्रीय सहायता बैंकेबल परियोजना की लागत के 25 प्रतिशत तक ही दी जाती है, बशर्ते लागत का कम से कम 50 प्रतिशत बांड, बैंक ऋण या PPP से जुटाया जाए

कथन 2: इसके तीन वर्टिकल - 'सिटीज़ ऐज़ ग्रोथ हब्स', 'क्रिएटिव रीडेवलपमेंट ऑफ़ सिटीज़' तथा 'जल एवं स्वच्छता' हैं

कथन 3: केंद्रीय सहायता की संपूर्ण राशि परियोजना की स्वीकृति के साथ ही एकमुश्त जारी कर दी जाती है

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

▼ **उत्तर और व्याख्या**

सही उत्तर: (a) केवल 1 और 2

कथन 1 सही है: UCF बैंकेबल परियोजना की लागत का अधिकतम 25 प्रतिशत केंद्रीय सहायता देता है और कम से कम 50 प्रतिशत लागत बांड, बैंक ऋण या PPP से जुटाने की शर्त लगाता है।

कथन 2 सही है: योजना की सभी परियोजनाएँ तीन वर्टिकल - सिटीज़ ऐज़ ग्रोथ हब्स, क्रिएटिव रीडेवलपमेंट ऑफ़ सिटीज़ और जल एवं स्वच्छता - में बँटी हैं।

कथन 3 गलत है: केंद्रीय सहायता एकमुश्त नहीं मिलती; वह 30:50:20 की तीन किस्तों में, भौतिक प्रगति (40% और 75%) और स्वतंत्र सत्यापन से जुड़ी शर्तों पर जारी होती है।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1. अर्बन चैलेंज फंड नगरीय अवसंरचना वित्तपोषण में अनुदान-आधारित दृष्टिकोण से बाज़ार-आधारित, सुधार-चालित मॉडल की ओर संक्रमण है। इस संक्रमण के तर्क की विवेचना कीजिए तथा इसके सफल क्रियान्वयन में नगरीय निकायों की क्षमता से जुड़ी चुनौतियों का परीक्षण कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में:

UCF का संक्षिप्त परिचय दें - 1 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता से लगभग 4 लाख करोड़ रुपये के निवेश का उत्प्रेरण; अनुदान-आधारित मॉडल से बाज़ार-संलग्न ढांचे की ओर बदलाव।

मुख्य भाग में:

संक्रमण के तर्क लिखें - बढ़ती शहरी आवश्यकताओं के सामने बजटीय संसाधनों की सीमा; 25-50 का फ़ॉर्मूला जो केंद्रीय राशि को उत्प्रेरक बनाता है; परिणाम-आधारित किस्तें (30:50:20); सुधार-चालित चैलेंज मोड; बैंकेबल परियोजनाओं पर ज़ोर।
चुनौतियों का परीक्षण करें - नगरपालिकाओं का कमज़ोर स्व-राजस्व; क्रेडिट-रेटिंग व बांड-जारी करने की सीमित क्षमता; DPR तैयारी व PPP प्रबंधन का अनुभवाभाव; उपयोगकर्ता-शुल्क के राजनीतिक प्रतिरोध; एस्क्रो-अनुशासन।

निष्कर्ष में:

संतुलित निष्कर्ष दें - बाज़ार-वित्तपोषण अनुपूरक है, सार्वजनिक निवेश का विकल्प नहीं; क्षमता-निर्माण (5,000 करोड़ रुपये) और CRGSS सही दिशा में कदम; दीर्घकालिक समाधान निकायों की वित्तीय आत्मनिर्भरता में ही है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

संक्षिप्त उत्तर: अर्बन चैलेंज फंड केंद्र सरकार की 1 लाख करोड़ रुपये की योजना है, जो शहरी अवसंरचना परियोजनाओं में बाज़ार से पूँजी जुटाने के लिए उत्प्रेरक सहायता देती है; इसका लक्ष्य लगभग 4 लाख करोड़ रुपये का कुल निवेश है।

▼ प्रश्न 1: अर्बन चैलेंज फंड में केंद्रीय सहायता किन शर्तों पर मिलती है?

केंद्रीय सहायता बैंकेबल परियोजना की लागत के अधिकतम 25 प्रतिशत तक होती है और कम से कम 50 प्रतिशत लागत बांड, बैंक ऋण या PPP से जुटानी होती है। राशि 30:50:20 की तीन किस्तों में, भौतिक प्रगति और स्वतंत्र सत्यापन से बँधकर जारी होती है।

▼ प्रश्न 2: क्या 50,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का अर्थ है कि इतनी राशि शहरों को मिल चुकी है?

नहीं। यह आँकड़ा 16 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की स्वीकृत परियोजनाओं की कुल लागत है। स्वीकृति के बाद पहली किस्त (30%) आती है और बाकी राशि परियोजना की भौतिक प्रगति से जुड़ी है; यह न तो जारी राशि है, न पूरी हुई परियोजनाएँ।

▼ प्रश्न 3: क्या बाज़ार-आधारित वित्तपोषण का अर्थ शहरी सेवाओं का निजीकरण है?

नहीं। म्यूनिसिपल बांड और बैंक ऋण नगर निकाय का अपना ऋण होते हैं - संपत्ति निकाय के पास रहती है। PPP केवल आय-स्रोत वाली चुनिंदा परियोजनाओं में अपनाया जाता है, जिसमें भी स्वामित्व और विनियामक भूमिका निकाय की बनी रहती है।

स्रोत

[1] प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB), 26 नवंबर 2026 - "National Workshop on Unlocking Market-Based Financing under the Urban Challenge Fund": https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2342087

[2] प्रेस विज्ञप्ति, PIB, 23 जुलाई 2026 - UCF संचालन दिशानिर्देश लॉन्च (15 अप्रैल 2026): https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2288504

[3] आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय (MoHUA) - अर्बन चैलेंज फंड संचालन दिशानिर्देश (अप्रैल 2026): mohua.gov.in (UCF Guidelines PDF)

[4] केंद्रीय बजट 2025-26, वित्त मंत्री का बजट भाषण (1 फ़रवरी 2025), पैरा 57-59: static.pib.gov.in (Budget Speech PDF)